



भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE  
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / Northern Regional Office, Chandigarh



**F.No. :- 9-PBB400/2016-CHA**

दिनांक: 10 दिसम्बर 2017

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),  
पंजाब सरकार, लघु सचिवालय,  
सेक्टर-9, चण्डीगढ़।

**विषय:- Diversion of 0.3876 ha of forest land in favour of Secretary, Bebe Nanki Global Society for approach road to Bebe Nanaki Global Society at village Daburji, Amritsar-Tarn-Taran Road, Tehsil & District Tarn-Taran, Division Amritsar (Online proposal No. FP/PB/SCH/17574/2016) regarding:-**

**संदर्भ:-** मुख्य वन संरक्षक (एफसी) व नोडल अधिकारी (एफसीए), पंजाब के पत्र संख्या FCA/1980/PBIP/190/2016/6425 दिनांक 20.07.2016 व अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफसी) व नोडल अधिकारी (एफसीए) के पत्र संख्या FCA/1980/PBIP/190/2016/2195 दिनांक 28.11.2017.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-२ के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उपर्युक्त विषय हेतु **0.3876** हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरी करने पर प्रदान की जाती है।

- प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाये।
- पैनल प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम प्रभावित वन क्षेत्र के दस गुणा क्षेत्र में 7-10 वर्षों के लिए पौधों के रखरखाव के लिए बना कर भेजे तथा उसके अनुसार पैनल CA साईट सुटेबिलिटी सर्टिफिकेट भेजे और प्रयोक्ता एजेंसी से पैनल प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार पैनल प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा कराई जाये।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।
- प्रयोक्ता एजेंसी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट <http://forestsclearance.nic.in> या <http://efclearance.nic.in> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से जमा करवाएगी।
- प्रस्तावित वन भूमि की सही KML फाइल polygon शेप में भेजे।
- User agency should ensure that the compensatory levies (CA cost, NPV, etc.) are deposited through challan generated online on web portal and deposited in appropriate bank only. Amount deposited through other mode will not be accepted as compliance of the Stage-I clearance.**



3. अन्तिम स्वीकृति के उपरांत निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जायेगा।

- i. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।
- ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पेड़ / पौधों काटे जायेंगे। प्रस्ताव के अनुसार काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 13 से अधिक नहीं होगी।
- iii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
- iv. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे।
- v. जब कभी भी NPV की राशी बढ़ाई जायेगी तो उस बड़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी।
- vi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
- vii. केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।
- viii. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।
- ix. यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।
- x. कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जायेगा।
- xi. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।
- xii. यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

4. उपरोक्त पैरा -2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिये प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार की अन्तिम अनुमति दिये जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

5. यह स्वीकृति माननीय राष्ट्रिय हरित अधिकरण के आदेश संख्या OA 161 व 162/2016 के अंतिम आदेश के अधीन प्रदान की जाती है।

भवदीय,



(सी०डी० सिंह)

अ०प्र०मु०वन संरक्षक (केन्द्रीय)

18/12/2017

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, इन्द्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब, फॉरेस्ट कॉम्प्लैक्स, सै०-68, एस० ए० एस० नगर, मोहाली, पंजाब।
3. वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल अमृतसर और जिला तरन-तारण पंजाब।
4. जसवंत सिंह, सचिव बेबे नानकी ग्लोबल सोसाइटी गाँव दबुर्जी, अमृतसर, पंजाब।